न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

निगरानी 2485-I-15

श्रीमती राजपति मिश्रा पुत्री स्व. श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा पत्नी श्री बलराम प्रसाद निवासी– गल्ला मण्डी के पास नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरूद्ध

1– शीतल प्रसाद पुत्र श्री चतुर्भज पटैरिया
2– मथुरा प्रसाद पुत्र श्री चतुर्भज पटैरिया
3– बाबूलाल पुत्र श्री चतुर्भज पटैरिया
4– भगवतशरण पुत्र श्री चतुर्भज पटैरिया
5– गिरजा पुत्री श्री चतुर्भज पटैरिया
निवासीगण – मऊ (सहानियां) तहसील नौगांव जिला– छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील नौगांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1. यहकि, आवेदिका ने एक दावा अनावेदकगणों के विरूद्ध प्रथम व्यवहार न्यायधीश वर्ग–2 नौगांव के न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम मऊ सहानियां स्थित कृषि भूमियॉं जो कुल किता 18 कुल रकवा 3.341 है0 मे से अपने भाग 1/2 के हिस्से के स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये। क्योंकि आवेदिका के बाबा स्वर्गीय बल्देव प्रसाद थे और उनके दो पुत्र दुर्गा प्रसाद और चतुर्भज थे आवेदिका की मॉं का नाम श्रीमती न्यारी दुलैया था उक्त चारो ही लोग मृत हो चुके है। प्रकरण में विवाद उस समय उत्पन्न हुआ था जब आवेदिका जो विवादित भूमियों पर अपना हिस्सा प्राप्त करती रहीं और कभी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ किन्तु दिनांक 17.01.2012 को जब आवेदिका के हक व हिस्से को नकारा गया तो आवेदिका ने दावा प्रस्तुत किया और राजस्व प्रलेखों की जानकारी प्राप्त की। जिसके अनुसार बल्देव प्रसाद की मृत्यु के समय आवेदिका की मॉं और बल्देव प्रसाद के दूसरे पुत्र चतुर्भज जीवित थे तथा आवेदिका के पिता का निधन हो चुका

XXXIX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2485/I/2015 निगरानी

जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–9–2016	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के.द्विवेदी उपस्थित, अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 21/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30–6–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, अनावेदक क.1 द्वारा ग्राम मउसहानियां तहसील नौगावं, जिला छतरपुर में स्थित खाता कमांक 588 कुल किता–18 कुल रकवा 3.485 हैक्टर के बंटवारा हेतु तहसीलदार के समक्ष धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे प्र0क0 21/अ–27/2014–15 पर दर्ज किया जाकर, दिनांक 30–6–2015 को तहसीलदार द्वारा माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 नौगांव, छतरपुर के व्यवहार वाद प्र0क0 13ए/2012 में पारित निर्णय/डिकी दिनांक 31–8–2013 के पालन में कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये, एवं माननीय अतिरिक्त जिला जज महोदय नौगांव के समक्ष लम्बित अपील प्र0क0 17ए/2013 में स्थगन न होने से आवेदिका श्रीमती राजपति मिश्रा की आपत्ति अस्वीकार की जाकर,पटवारी से फर्द रिपोर्ट आहूत की जाकर, शेष अनावेदक के जबाव हेतु प्रकरण नियत	

किया गया । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के लम्वित रहने के दौरान आवेदिका की मृत्यु होने व उनके वैध वारिसो को आवेदक एवं अनावेदक के रूप में रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति पेश कर आवेदिका के वारिसो को रिकार्ड पर न लेने हेतु एवं प्रकरण का निराकरण माननीय व्यवहार न्यायालय के निर्णय/डिकी के अनुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 नौगांव, जिला छतरपुर के समक्ष व्यवहार वाद प्र0क0 13ए/2012 प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में निर्णय/डिकी दिनांक 31–8–2013 पारित की गई है जिसके खिलाफ आवेदिका ने माननीय अतिरिक्त जिला जज, नौगांव के समक्ष अपील प्र0क0 17ए/2013 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आवेदिका के पक्ष में स्थगन आदेश पारित न होने के कारण बंटवारे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर, पटवारी से फर्द बुलाई गई एवं शेष अनावेदको के जबाव हेतु प्रकरण दिनांक 30–6–2015 को नियत किया गया था। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के

पश्चात आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किये जाने योग्य होकर, तथा तहसीलदार नौगांव द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30–6–2015 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाकर, तहसीलदार, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30–6–2015 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता हैं।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर